

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(62)एम.ई./ग्रुप-1/13

जयपुर, दिनांक:


22 JAN 2020

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(121)एम.ई./ग्रुप-1/91 पार्ट दिनांक 30.01.13 के द्वारा डॉ. नितिन भल्ला, (मेरिट क्रमांक एम-20/सामान्य, जन्मतिथि 09.09.78) की नियुक्ति अस्थाई रूप से दो वर्ष के परीवीक्षा काल पर सहायक आचार्य, निश्चेतन के पद पर मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में की गई थी। डॉ. भल्ला ने दिनांक 25.02.13 को सहायक आचार्य, निश्चेतन के पद पर कार्यग्रहण किया था। डॉ. भल्ला दिनांक 01.10.14 से स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं। इस अवधि में वह परीवीक्षाकाल में थे। डॉ. भल्ला को अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 10.01.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया लेकिन डॉ. भल्ला व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।


अतः डॉ. नितिन भल्ला, सहायक आचार्य, निश्चेतन, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के परीवीक्षा काल में बिना अनुमति के दिनांक 01.10.14 से स्वैच्छा से अपने पदस्थापित स्थान से लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप परीवीक्षा काल में इनकी सेवाएं असन्तोषजनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम 1962 के नियम 27 के उप नियम (1) के प्रावधान के अनुसार डॉ. भल्ला की सहायक आचार्य, निश्चेतन पद की सेवा एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,


(वैभव मालरिया)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर को उनके पत्रांक प. 78(स्था.राज.) सपआम/2017/811 दिनांक 30.08.19 के संदर्भ में।
4. डॉ. नितिन भल्ला पुत्र श्री राम भल्ला, रूकमणी भवन प्लॉट न. 504, 5वी. बी.रोड, सरदारपुरा जोधपुर (राज.)-342003 (रजिस्टर्ड डाक से)।
5. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(रमेश चन्द्र आर्य)
उप शासन सचिव